

# अध्याय-III

## अध्याय - III

### 3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित हैं।

#### सांविधिक निगम

#### झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

### 3.1 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अल्पावधि ऊर्जा क्रय पर दीर्घ कंडिका

#### 3.1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड में ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण का कार्य दिसम्बर 2013 तक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) द्वारा किया जाता था और जेएसईबी का जनवरी 2014 में चार कंपनियों<sup>1</sup> में विखण्डन के बाद ऊर्जा का क्रय झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) जोकि ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था, के द्वारा किया जा रहा था। जेएसईबी अपने पतरातु थर्मल ऊर्जा स्टेशन, पतरातु और पनबिजली स्टेशन, सिकिदिरी से ऊर्जा उत्पादन कर रही थी।

जेएसईबी अपने ऊर्जा आवश्यकता को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) को दाखिल करता है। इसके बाद जेएसईआरसी इसकी समीक्षा के पश्चात ऊर्जा आवश्यकता की मात्रा की संस्तुति प्रदान करती है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता, जेएसईबी का अपना ऊर्जा उत्पादन तथा आवश्यकता एवं अपना ऊर्जा उत्पादन के बीच अंतर का विवरण तालिका-3.1 में दिखाया गया है।

तालिका 3.1

(आँकड़े एमयू में)

वर्ष	जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित ऊर्जा आवश्यकता <sup>2</sup>	अपना ऊर्जा उत्पादन	ऊर्जा आवश्यकता एवं अपने उत्पादन में अन्तर	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4 = (2-3)	5 = {(4/2)*100}
2009-10	7290	1084	6206	85
2010-11	7592	582	7010	92
2011-12	8383	635	7748	92
2012-13	9513	765	8748	92
2013-14	11435 <sup>3</sup>	720	10715	94

(स्रोत: जेएसईआरसी का टैरिफ आदेश तथा जेएसईबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

<sup>1</sup> होल्डिंग कम्पनी झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियां झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

<sup>2</sup> युआई बिक्री को छोड़कर।

<sup>3</sup> जेएसईबी द्वारा याचित टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार जो अभी तक जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित नहीं था।

जेएसईबी का ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2009-10 में 1084 मिलियन युनिट (एमयू) से घट कर वर्ष 2013-14 में 720 एमयू हो गया। जेएसईआरसी द्वारा स्वीकृत ऊर्जा आवश्यकता तथा अपने उत्पादन का अन्तर जो वर्ष 2009-10 में 85 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 94 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार, जेएसईबी अपने ऊर्जा आवश्यकता को अपने उत्पादन द्वारा पूर्ति करने में असमर्थ था और दीर्घावधि<sup>4</sup> ऊर्जा क्रय समझौते (पीपीए) के द्वारा ऊर्जा क्रय कर रहा था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से 2013-14 के दौरान जेएसईबी द्वारा दामोदार घाटी निगम (डीवीसी), पावर ट्रेडिंग निगम (पीटीसी), टाटा पावर, आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोर्ससेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) इत्यादि से अल्पावधि<sup>5</sup> आधार पर तथा अनुसूचित विनियमन (यूआई)<sup>6</sup> के द्वारा भी ऊर्जा क्रय किया गया।

अल्पावधि ऊर्जा के क्रय पर व्यय 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 129.15 करोड़ से ₹ 337.93 करोड़ के बीच था जो इस अवधि में कुल ऊर्जा क्रय का 6.69 प्रतिशत से 11.77 प्रतिशत था।

### 3.1.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि क्या जेएसईबी ने अल्पावधि ऊर्जा क्रय मितव्ययता के साथ अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखते हुए किया। लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के दौरान किया गया जिसमें जेएसईबी के द्वारा वर्ष 2009-10 से 2013-14 के बीच अल्पावधि ऊर्जा क्रय को समावेश किया गया। लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती जेएसईबी और जेयूवीएनएल का निगम कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जेयूवीएनएल के प्रबंधन तथा सरकार को 3 जुलाई 2014 को जारी किये गये थे। प्रबंधन का उत्तर प्राप्त हुआ (सितम्बर 2014), यद्यपि, सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)। समापन सभा दिनांक 12 सितम्बर 2014 को आयोजित हुआ जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, जेयूवीएनएल के साथ चर्चा की गई। जेयूवीएनएल के उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.1.3 राज्य में ऊर्जा क्रय की स्थिति

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दीर्घावधि एवं अल्पावधि में ऊर्जा क्रय का विवरण को तालिका-3.2 में दर्शाया गया है:

<sup>4</sup> सात वर्षों से अधिक अवधि के लिये ऊर्जा क्रय समझौता।

<sup>5</sup> एक वर्ष से कम के लिए ऊर्जा क्रय समझौता।

<sup>6</sup> अधिसूचित ऊर्जा से कम या अधिक निकासी को अनुसूचित विनियमन (यूआई) कहा जाता है।

**तालिका - 3.2**

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1.	दीर्घावधि विद्युत क्रय <sup>7</sup> (एमयू में)	7120	7710	7734	8617	9528	40709
2.	दीर्घावधि ऊर्जा क्रय का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	1671.22	2032.77	2508.32	2985.34	3527.59	12725.24
3.	अल्पावधि विद्युत क्रय (एमयू में)	459	1052	1184	1056	902	4653
4.	अल्पावधि विद्युत क्रय का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	129.15	297.83	337.93	331.22	265.91	1362.04
5.	कुल विद्युत क्रय (एमयू में) (1+3)	7579	8762	8918	9673	10430	45362
6.	क्रय का कुल मूल्य (₹ करोड़ में) (2+4)	1800.37	2330.60	2846.25	3316.56	3793.50	14087.28
7.	कुल विद्युत क्रय में अल्पावधि क्रय का प्रतिशत (3/5)*100	6.06	12.01	13.28	10.92	8.65	10.26

(स्रोत: जेएसईआरसी का टैरिफ आदेश तथा जेएसईबी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता कि जेएसईबी ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 14087.28 करोड़ की 45362 एमयू ऊर्जा की खरीद की जिसमें से ₹ 12725.24 करोड़ का 40709 एमयू ऊर्जा दीर्घावधि का था तथा ₹ 1362.04 करोड़ का 4653 एमयू ऊर्जा अल्पावधि का था।

**अल्पावधि के आधार पर ऊर्जा क्रय**

जेएसईबी द्वारा अल्पावधि ऊर्जा क्रय में अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों को आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

**3.1.4 कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा की कम निकासी के कारण हानि**

अपने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, जेएसईबी अल्पावधि आधार पर 100 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) ऊर्जा डीवीसी से वर्ष 2010-11 से चौबीस घंटे लगातार क्रय कर रहा था।

जेएसईबी ने ₹ 2.77 प्रति इकाई की अंतरिम दर पर डीवीसी से वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू ऊर्जा क्रय किया। डीवीसी से वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान अल्पावधि आधार पर आपूर्ति किये गए ऊर्जा की दर को केन्द्रीय ऊर्जा नियामक आयोग द्वारा पुनः निर्धारण किया गया (जुलाई 2013), औसत पुनः निर्धारित दर वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और

<sup>7</sup> यूआई बिक्री शामिल नहीं।

2013-14 के लिये क्रमशः ₹ 3.31, ₹ 3.86, ₹ 4.11 और ₹ 4.32 प्रति इकाई निकाला गया था। यद्यपि, जेएसईबी द्वारा सभी स्रोतों से क्रय किये गये ऊर्जा का औसत लागत वर्ष 2010-11 में ₹ 2.66, 2011-12 में ₹ 3.19, 2012-13 में ₹ 3.43 और वर्ष 2013-14 में ₹ 3.63 प्रति इकाई था।

हमने पाया कि इस अवधि (2010-14) के दौरान जेएसईबी ने 2174.40 एमयू महत्वपूर्ण परिमाण ऊर्जा की कम निकासी की थी, जिसके लिए निम्नतर दर वर्ष 2010-11 में ₹ 2.61, वर्ष 2011-12 में ₹ 2.44, वर्ष 2012-13 में ₹ 2.17 और वर्ष 2013-14 में ₹ 0.96 प्रति इकाई वसूल किया था, परिणामस्वरूप ऊर्जा की कम निकासी के कारण ₹ 231.24 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

जेयूवीएनएल ने 2174.40 एमयू ऊर्जा की कम निकासी को स्वीकार करते हुए कहा कि जेएसईबी/जेयूवीएनएल ने विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा क्रय किया था इसलिए ऊर्जा बिक्री से हानि को ऊर्जा के किसी एक स्रोत के संदर्भ में दिखाना उचित छवि प्रदर्शित नहीं करता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जेएसईबी ने कम निकासी किये गये ऊर्जा के लिये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की औसत क्रय लागत की तुलना में निम्नतर दर वसूल कर पाया था। साथ ही, जेएसईबी डीवीसी से एक दिन पूर्व के शिड्यूल के आधार पर लगभग 2.40 एमयू ऊर्जा प्रतिदिन चौबीस घंटे लगातार क्रय कर रहा था, इसलिए डीवीसी से ऊर्जा नहीं लेना चाहिए था जब दूसरे स्रोतों से निम्न दर पर अधिशेष ऊर्जा उपलब्ध था।

*जेयूवीएनएल को अल्पावधि में ऊर्जा क्रय करने से पूर्व अपने ऊर्जा आवश्यकता को उपयुक्त तरीके से निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा की कम निकासी से बचा जा सके।*

### 3.1.5 संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना व्यापार हेतु निजी ऊर्जा उत्पादक से ऊर्जा क्रय

एक निजी ऊर्जा उत्पादक मेसर्स आधुनिक पावर और नेचुरल रिसोर्सोज लिमिटेड (एपीएनआरएल) ने जेएसईबी को 200 मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति का प्रस्ताव दिया (फरवरी 2013)। प्रस्ताव के आधार पर, जेएसईबी ने अल्पावधि आधार पर ₹ 3.50 प्रति युनिट की दर से 100 मेगावाट ऊर्जा एपीएनआरएल से क्रय करने का निर्णय किया (फरवरी 2013) यह ऊर्जा आंध्र प्रदेश ऊर्जा समन्वय समिति (एपीपीसीसी) को एक ऊर्जा व्यापारिक कंपनी (मेसर्स मित्तल प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड) के माध्यम से व्यापार करना/बेचना था। यद्यपि, जेएसईबी द्वारा गठित (अगस्त 2013) समिति की सिफारिश के आधार पर यह दर मार्च 2013 के लिए ₹ 3.12 प्रति युनिट एवं अप्रैल 2013 के लिए ₹ 3.14 प्रति युनिट बाद में पुनः निर्धारित की गई।

हमने पाया कि जेएसईबी ने ऊर्जा व्यापारिक कंपनी से क्रय का प्रस्ताव (7 मार्च 2013) पाने से पहले एपीएनआरएल से 100 मेगावाट ऊर्जा क्रय करना शुरू किया था (1 मार्च 2013)। तदनुसार, जेएसईबी ने 1 मार्च 2013 से 8 अप्रैल 2013 के बीच 83.16 एमयू ऊर्जा क्रय किया जिसका मुल्य ₹ 25.96 करोड़ था। यद्यपि, एपीएनआरएल से खरीदी गई ऊर्जा दक्षिणी क्षेत्र संचरण लाइन में व्यस्तता के कारण एपीपीसीसी को बेचा नहीं जा सका।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि:

- अल्पावधि आधार पर क्रय किया गया 83.16 एमयू ऊर्जा का व्यापार नहीं हो सका, जिसमें से जेएसईबी ने 40.08 एमयू ऊर्जा का उपयोग किया तथा शेष 43.08 एमयू ऊर्जा पीटीसी के पास बैंक किया। ऊर्जा बैंक करने के लिए जेएसईबी को केन्द्रीय ऊर्जा नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय संचरण में ओपेन एक्सेस) विनियम, 2008 के अनुसार संचरण (इंजेक्शन और निकास) शुल्क भुगतान करना था। साथ ही, जेएसईबी को ऊर्जा बैंक करने के लिए पीटीसी को व्यापारिक मार्जिन का भी भुगतान करना था। इस प्रकार, बिना संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किये व्यापारिक उद्देश्य से ऊर्जा क्रय के कारण, जेएसईबी को 43.08 एमयू ऊर्जा को बैंक करने के फलस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ का संचरण शुल्क और ₹ 0.18 करोड़ व्यापारिक मार्जिन पर परिहार्य व्यय करना पड़ा।

- एपीएनआरएल के साथ समझौते के अनुसार, एपीएनआरएल द्वारा आपूर्तिकृत ऊर्जा का विपत्रीकरण सप्ताहिक आधार पर करना था। अगर जेएसईबी द्वारा बिपत्र प्राप्त करने के सात दिन के अन्दर भुगतान किया जाता तो दो प्रतिशत छूट जेएसईबी को उपलब्ध था और नियत तिथि से 30 दिन बाद शेष बकाया राशि का भुगतान करने पर 1.25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क एपीएनआरएल को भुगतान था।

हमने लेखापरीक्षा में पाया कि एपीएनआरएल द्वारा मार्च 2013 और अप्रैल 2013 का बिपत्र नियत तिथि (मार्च के 9, 16, 24 और 31 तथा 9 अप्रैल 2013) को जमा किया था और जेएसईबी ने जून 2013 में ₹ 10 करोड़ तदर्थ भुगतान किया और शेष राशि ₹ 15.96 करोड़ का भुगतान अक्टूबर 2013 में किया गया और इस प्रकार, देर से भुगतान के कारण जेएसईबी ₹ 51.93 लाख का छूट प्राप्त करने में असफल रहा साथ ही ₹ 1.30 करोड़ का अतिरिक्त शुल्क का परिहार्य दायित्व का सृजन किया।

- जेएसईबी ने वैकल्पिक स्रोतों से दर की तुलना किये बिना एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया। यह देखा गया कि इसी अवधि के दौरान भारतीय ऊर्जा इक्सचेंज (आईईएक्स) में ₹ 2.23 प्रति युनिट की औसत दर पर ऊर्जा उपलब्ध था। ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार ने अल्पावधि आधार पर जेएसईबी द्वारा आईईएक्स से उपलब्ध सस्ती ऊर्जा को नजरअंदाज कर उच्च दर पर ऊर्जा क्रय करने के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त किया (अप्रैल 2013)। इस प्रकार, जेएसईबी ने सस्ती उपलब्ध ऊर्जा पर विचार किये बिना उँची दर पर एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया,

परिणामतः ₹ 7.42 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। अतः जेएसईबी अपनी वित्तीय हितों के संरक्षण में असफल रहा।

जेयूवीएनएल ने उत्तर दिया कि एपीपीसीसी को बिक्री करने के लिए एपीएनआरएल से ऊर्जा क्रय किया गया था, परंतु, संचरण लाइन की व्यस्तता के कारण ऊर्जा को बेचा नहीं जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एपीपीसीसी से बिना क्रय आदेश या इच्छा पत्र प्राप्त किये ही जेएसईबी द्वारा फरवरी 2013 में व्यापार के लिए ऊर्जा क्रय का निर्णय लिया गया था। जेएसईबी को व्यापार हेतु ऊर्जा क्रय करने से पहले संचरण लाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

*जेयूवीएनएल को व्यापार के लिए ऊर्जा क्रय करने के पहले योजना तैयार करना चाहिए तथा संचरण प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।*

### 3.1.6 पीटीसी से ऊर्जा क्रय के कारण परिहार्य व्यय

ग्रीष्मकाल में निर्विघ्न ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जेएसईबी ने 100 मेगावाट ऊर्जा अल्पावधि आधार पर एक ऊर्जा व्यापारिक कंपनी पीटीसी से क्रय करने का निर्णय किया (जून 2012)। तदनुसार जेएसईबी ने 16 जून से 30 जून 2012 की अवधि में पीटीसी से 33.84 एमयू ऊर्जा ₹ 17.43 करोड़ की लागत से (₹ 5.15 प्रति युनिट की दर से) क्रय किया।

पीटीसी द्वारा क्रय किये गये 33.84 एमयू में से, जेएसईबी ने 6.24 एमयू ऊर्जा का उपयोग 16 जून से 18 जून 2012 के बीच किया और शेष 27.60 एमयू जो कि 19 जून से 30 जून 2012 के बीच क्रय किया गया, ऊर्जा की उपलब्धता और माँग पर विचार करते हुए, बैंक किया गया। जेएसईबी ने इस बैंक किये गये ऊर्जा का उपयोग केवल नवम्बर 2012 में किया। इस प्रकार, अल्पावधि आधार पर बिना तत्काल आवश्यकता के ऊर्जा की क्रय के कारण, जेएसईबी को 27.60 एमयू ऊर्जा बैंक करना पड़ा, जिसपर ऊर्जा बैंकिंग के लिए ₹ 63.49 करोड़ संचरण शुल्क (इंजेक्शन और निकास) का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

जेयूवीएनएल ने उत्तर दिया कि टीवीएनएल में ऊर्जा औटेज के कारण ऊर्जा की अत्याधिक कमी थी और जब टीवीएनएल की युनिट चालु हुआ तो प्रतिवद्धित ऊर्जा को शीतकालीन मौसम में प्राप्त करने के लिए बैंक किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2012 में टीवीएनएल में औटेज नहीं था और जून 2012 में औसत ऊर्जा उत्पादन (254.99 एमयू) था जो वर्ष 2012-13 में प्रतिमाह औसत ऊर्जा उत्पादन (243.5 एमयू) से अधिक था। इसके अलावा, जेएसईबी अल्पावधि आधार पर ऊर्जा क्रय करने से पहले ऊर्जा की आवश्यकता को मुल्यांकन करने में असफल रहा।

## निष्कर्ष

- जेएसईबी ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान दामोदर घाटी निगम से अल्पावधि आधार पर 3467.99 एमयू ऊर्जा क्रय किया और इसी अवधि में जेएसईबी ने 2174.40 एमयू ऊर्जा की कम निकासी की जिसपर निम्नतर दर वसूली गई जिसके फलस्वरूप ₹ 231.24 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- जेएसईबी द्वारा संचरण प्रभार एवं व्यापार मार्जिन के रूप में ₹ 1.96 करोड़ का परिहार्य व्यय व्यापार के लिए संचरण लाइन की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना 70.68 एमयू अल्पावधि ऊर्जा क्रय करने के फलस्वरूप ऊर्जा व्यापार पर (43.08 एमयू के संचरण शुल्क के लिए लागत ₹ 1.15 करोड़ तथा व्यापारिक मार्जिन के लिए ₹ 0.18 करोड़) एवं तत्काल जरूरत नहीं रहने के कारण (27.60 एमयू जिसका मुल्य ₹ 0.63 करोड़) हुआ।
- जेएसईबी ने कम दर पर उपलब्ध ऊर्जा पर विचार किये बिना उच्च दर पर एक निजी ऊर्जा उत्पादक से 83.16 एमयू ऊर्जा क्रय किया जिसके फलस्वरूप ₹ 7.42 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

## 3.2 पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में देरी के कारण हानि

टैरिफ के अनुसार पावर फैक्टर अधिभार की उगाही में अत्याधिक देरी के कारण, एक कैप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता से ₹ 47.16 करोड़ का राजस्व अवसूलनीय रहे।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) ने उषा मार्टिन इंडस्टीज (यूएमआई) के साथ इसके कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) और अपने गम्हरिया ग्रिड सब-स्टेशन के तुल्यकालिक प्रचालन के लिए समझौता किया (मई 2002)। समझौते के अनुसार सीपीपी में उत्पन्न बिजली यूएमआई द्वारा उपयोग किया जाना था और अधिशेष बिजली को जेएसईबी की ऊर्जा प्रणाली में प्रवाहित करना था। साथ ही, जेएसईबी की ऊर्जा प्रणाली से ऊर्जा के आहरण के लिए यूएमआई का अनुबंध मांग 21.7 एमवीए तय किया गया। चूंकि सीपीपी में उत्पन्न बिजली यूएमआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी अतः जेएसईबी द्वारा मीटर पठन के अनुसार जेएसईबी को यूएमआई से प्राप्त बिजली एवं जेएसईबी से यूएमआई को दिया गया बिजली के अंतर के लिये मासिक विपत्र भारित किया जा रहा था।

एक विद्युत प्रणाली में पावर फैक्टर (पीएफ) भार में प्रवाहित वास्तविक ऊर्जा (कि.वा) तथा सर्किट के आभासी ऊर्जा (केवीए) के अनुपात को कहते हैं और समान उपयोगी ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए कम पीएफ का भार, अधिक पीएफ के भार से अधिक धारा का उपयोग करता है। लागू टैरिफ के अनुसार, यदि किसी माह में उपभोक्ता का औसत पीएफ 0.85 से नीचे गिर जाता है तो, 0.85 से 0.60 तक प्रत्येक 0.01 की गिरावट तक अनुबंध माँग एवं ऊर्जा प्रभार के एक प्रतिशत पीएफ



अधिभार के रूप में उगाही किया जाना था और पीएफ के 0.60 से 0.30 तक प्रत्येक 0.01 की गिरावट पर दो प्रतिशत का पीएफ अधिभार लगाना था। इसी तरह, यदि औसत पीएफ 0.85 से अधिक रहा तो उपभोक्ता को पीएफ छूट मिलना था।

टैरिफ के प्रावधान के अनुसार, उपभोक्ता को शंट कैपासिटर उचित दशा में रखना था और इसके खराब होने की स्थिति में, उपभोक्ता द्वारा एक माह के भीतर इसके दोष को सुधार लेना था। पर्याप्त रेटिंग के शंट कैपासिटर का अनुक्षण लगातार छह माह तक नहीं होने की स्थिति में जेएसईबी द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के विच्छेद सहित अन्य कार्रवाई की जानी थी।

अप्रैल 2002 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक माह में यूएमआई को आपूर्तित बिजली का औसत पीएफ 0.23 से 0.69 के बीच रहा जो 0.85 के स्वीकार्य सीमा से कम था। हालांकि, यूएमआई ने इस अवधि के दौरान शंट कैपासिटर के दोष को ठीक नहीं किया। कम पीएफ के वाबजूद जेएसईबी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और टैरिफ के प्रावधानों के अनुसार पीएफ अधिभार नहीं लगाया गया।

ग्रिड और सीपीपी उपभोक्ता के परिसर के निरीक्षण के लिए जेएसईबी ने एक समिति का गठन किया (मार्च 2008) जिसने पाया कि यूएमआई द्वारा स्थापित दोषपूर्ण और निष्क्रिय शंट कैपासिटर के कारण कम पीएफ था। यूएमआई द्वारा शंट कैपासिटर के पुनः स्थापना (जुलाई 2009) के बाद सितम्बर 2009 से पीएफ बढ़कर स्वीकार्य सीमा से अधिक हो गया जो सितम्बर 2009 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान 0.890 से 0.986 के बीच रहा।

हमने पाया कि जेएसईबी ने केवल अगस्त 2008 के पीएफ अधिभार के लिए पूरक विपत्र जारी किया (सितम्बर 2010) जो यूएमआई द्वारा इस आधार पर भुगतान नहीं किया गया कि पीएफ अधिभार के भुगतान के लिए समझौते में कोई प्रावधान नहीं था। ये कथन उचित नहीं था क्योंकि जेएसईबी टैरिफ के अनुसार यूएमआई की मासिक विपत्र में वोल्टेज छूट दे रही थी। हालांकि, विपत्र वापस ले लिया गया और राशि को बाद के विपत्रों में बकाया के रूप में दावा नहीं किया गया। तत्पश्चात, जेएसईबी ने पीएफ अधिभार उगाही करने के मामले की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन<sup>8</sup> किया (जनवरी 2012)। जिसने टैरिफ के प्रावधान के अनुसार यूएमआई पर पीएफ अधिभार लागू करने की सिफारिश की।

जेएसईबी मंडल द्वारा लागू टैरिफ के अनुसार पीएफ अधिभार लगाने का फैसला किया गया (दिसम्बर 2013) और पीएफ अधिभार किस अवधि के लिए लगाया जाये इस संबंध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष जेएसईबी को अधिकृत किया गया। इसके बाद, जेएसईबी का चार कंपनियों में पुर्नगठन हो गया (जनवरी 2014)। झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, जेएसईबी की उत्तरवर्ती कंपनी ने अप्रैल 2002 से

---

<sup>8</sup> अभियंता प्रमुख (अध्यक्ष), वित्त नियंत्रक - 2 (सदस्य) और ईएसई/कोल ब्लॉक (सदस्य सचिव)।

सितम्बर 2014 की अवधि के लिए ₹ 47.16 करोड़ की शुद्ध राशि का पूरक विपत्र यूएमआई पर भारत किया (अक्टूबर 2014) जिसमें ₹ 52.09 करोड़ का पीएफ अधिभार की माँग की गई और ₹ 4.93 करोड़ का पीएफ छूट दिया गया जो अभी तक अवसूलनिये थे (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, जेएसईबी ने वर्ष 2002 से 2008 के दौरान कम पीएफ के लिए उपभोक्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा और अप्रैल 2002 से सितम्बर 2014 की अवधि के लिए पी.एफ अधिभार की उगाही में अत्याधिक देरी हुई। इसके फलस्वरूप, ₹ 47.16 करोड़ का राजस्व अवसूलनीय रहा।

मामला झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुर्नगठन के बाद गठित होल्डिंग कंपनी)/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर, 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

### 3.3 प्रत्याभूति राशि के गैर-वसूली के कारण हानि

जेएसईबी के प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण उपभोक्ता से ₹ 66.95 लाख की प्रत्याभूति राशि और उस पर ₹ 50.13 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार अवसूलनीय रहे।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी), (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2005 के अनुसार, जिस व्यक्ति को बिजली आपूर्ति या अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति स्वीकृत किया गया है उसे लाइसेंसिधारी वितरक को प्रत्याभूति राशि जमा करना है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) ने उच्च तनाव विशेष सेवा (एचटीएसएस) उपभोक्ताओं के लिए प्रति केवीए ₹ 3150 की दर से प्रत्याभूति राशि तय की।

प्रत्याभूति राशि के भुगतान की सुविधा के लिए, जेएसईबी की शीर्ष परिषद ने यह अनुमोदित किया (जुलाई 2010) कि नये एचटीएसएस उपभोक्ता के प्रत्याभूति राशि के भुगतान अधिकतम चार किशतों में 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति प्रभार के साथ भुगतान कर सकता है। इसकी पहली किस्त प्रत्याभूति राशि के 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए एवं उसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट/नकदी के द्वारा करना था और शेष राशि का भुगतान तीन किस्तों में उत्तरदिनांकित चेक के द्वारा करना था। किसी भी उत्तरदिनांकित चेक के अनादरण की स्थिति में, बिजली लाइन बिना किसी सूचना के काट दिया जाना था।

जेएसईबी द्वारा (सितंबर 2011) एचटीएसएस उपभोक्ता का भार में 5,000 केवीए से 10,500 केवीए की वृद्धि स्वीकृत की गई जिसके लिए उपभोक्ता को ₹ 1.73 करोड़ का अतिरिक्त प्रत्याभूति राशि जमा करना था। जेएसईबी अध्यक्ष ने अतिरिक्त प्रत्याभूति राशि ₹ 1.73 करोड़ का भुगतान चार किशतों में करने का अनुमोदन किया (दिसम्बर 2011)। तदनुसार, जेएसईबी ने उपभोक्ता के साथ समझौता किया

(दिसम्बर 2011) जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रत्याभूति राशि का 40 प्रतिशत प्रथम किश्त ₹ 69.30 लाख के भुगतान के बाद विद्युत संबंध सक्रिय कर दिया गया (जनवरी 2012)। उपभोक्ता द्वारा ₹ 1.04 करोड़ की शेष राशि और ₹ 3.12 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार के तीन उत्तरदिनांकित चेक<sup>9</sup> जमा किए गए।

लेखों की जाँच के बाद हमने पाया (मार्च 2014) कि दूसरे और तीसरे किश्तों के पूर्व दिनांकित चेक जो क्रमशः ₹ 36.21 लाख और ₹ 35.69 लाख के थे, बैंक द्वारा अनादर कर दिए गए थे और चौथी किश्त का उत्तरदिनांकित चेक, जो ₹ 35.17 लाख का था, उसे जेएसईबी द्वारा बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, उपभोक्ता की बिजली लाइन समझौते के प्रावधान के अनुसार जेएसईबी द्वारा उपभोक्ता के बिजली लाइन काटी नहीं गई और उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति पर्याप्त प्रत्याभूति राशि जमा किए बिना जारी रखा गया जिससे जेएसईआरसी विनियम का उल्लंघन हुआ।

लेखापरीक्षा के बताए जाने पर जेएसईबी ने ₹ 37 लाख की राशि उपभोक्ता से वसूली की (अप्रैल 2014)। हालांकि, ₹ 66.95 लाख की शेष प्रत्याभूति राशि और उसपर ₹ 50.13 लाख<sup>10</sup> के क्षतिपूर्ति प्रभार की वसूली नहीं हुई (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, जेएसईबी द्वारा प्रत्याभूति राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाई नहीं करने के कारण ₹ 66.95 लाख की प्रत्याभूति राशि और ₹ 50.13 लाख के क्षतिपूर्ति प्रभार अवसूलनीय रहे।

मामला झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जनवरी 2014 में जेएसईबी के पुर्नगठन के बाद गठित होल्डिंग कंपनी)/सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

## सरकारी कंपनियां

### झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

#### 3.4 आयकर पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अग्रिम आयकर का भुगतान न करने और आयकर विवरणी दायर करने में देरी के कारण आयकर पर ₹ 28.82 लाख का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961, (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर देय है, यदि करदाता द्वारा इस तरह के देय कर की राशि वर्ष के दौरान दस हजार रुपये या इससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234ए में यह

<sup>9</sup> उत्तरदिनांकित चेक दिनांक 29.02.2012 का ₹ 36,20,925, दिनांक 31.03.2012 का ₹ 35,68,950 और दिनांक 30.04.2012 का ₹ 35,16,975

<sup>10</sup> ₹ 42.10 लाख (₹ 103.95 लाख x 1.5 प्रतिशत x 27 माह, फरवरी 2012 से अप्रैल 2014 की तिथि तक) + ₹ 8.03 लाख (₹ 66.95 लाख x 1.5 प्रतिशत x 8 माह मई 2014 से दिसम्बर 2014 की तिथि तक)

प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी नियत तिथि के बाद दाखिल की जाती है तो निर्धारित आय पर कर की राशि में से भुगतान किये गये अग्रिम कर और कर कटौती/स्रोत पर संग्रहित कर की राशि घटाने के बाद शेष कर राशि पर प्रत्येक माह एक प्रतिशत की दर से सधारण ब्याज भारित होता है।

साथ ही, अधिनियम के धारा 234बी निर्दिष्ट करती है कि जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में, एक करदाता जो धारा 208 के अधीन अग्रिम कर की अदायगी के लिये उत्तरदायी है, कर अदायगी में चुक करता है या जहाँ करदाता द्वारा भुगतान किये गये अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो करदाता निर्धारित कर के विरुद्ध कम भुगतान किये गये अग्रिम आयकर पर अप्रैल की पहली तिथि से प्रत्येक माह के लिये एक प्रतिशत के दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, अधिनियम के धारा 234सी में यह प्रवधान है कि यदि करदाता अग्रिम कर के भुगतान में चुक करता है या देय कर के अग्रिम कर भुगतान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम है तो करदाता उस कम जमा राशि पर प्रत्येक माह एक प्रतिशत के दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने पाया कि कंपनी के पास अग्रिम कर के भुगतान हेतु आय निर्धारण और वार्षिक बजट की तैयारी के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। इस कारण, अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के प्रावधानों के आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कंपनी अग्रिम कर का भुगतान नियत तिथियों पर नहीं की। साथ ही, लेखों<sup>11</sup> के अंतिमीकरण में देरी के कारण, कंपनी इन वर्षों की आयकर विवरणी अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत नियत तिथियों में दायर नहीं कर सकी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 17.47 लाख आयकर आकलित किया और मार्च 2013 में आयकर विवरणी दाखिल किया। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिये कंपनी द्वारा आकलित कर क्रमशः ₹ 47.40 लाख और ₹ 58.53 लाख पर आयकर विवरणी मार्च 2014 में दाखिल की गयी थी। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने और आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी के परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 28.82 लाख<sup>12</sup> के ब्याज का भुगतान नवम्बर 2012 और मार्च 2014 में करना पड़ा।

<sup>11</sup> कंपनी ने अपने वर्ष 2010-11 के लेखों का 17 अक्टूबर 2012 को तथा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 का 10 जनवरी 2014 को अंतिमिकृत किया।

<sup>12</sup> धारा 234ए के अंतर्गत - 2010-11 के लिये ₹ 1.46 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 6.06 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 2.32 लाख; धारा 234बी - 2010-11 के लिये ₹ 2.08 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 8.08 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 4.64 लाख, धारा 234सी -2010-11 के लिये ₹ 0.52 लाख, 2011-12 के लिये ₹ 1.70 लाख, 2012-13 के लिये ₹ 1.95 लाख।

कंपनी ने कहा (सितंबर 2014) कि लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारण आयकर विवरणी दाखिल करने में देरी हुई तथा उन्होंने वर्ष 2013-14 से अग्रिम कर के भुगतान करने की प्रक्रिया को अपनाया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही और ₹ 28.82 लाख की परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा अग्रिम कर का सही समय पर भुगतान नहीं करने और आयकर विवरणी नियत तिथियों पर दाखिल नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 234ए, 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 28.82 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के वाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

## झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

### 3.5 सेवा कर का परिहार्य भुगतान

कंपनी द्वारा केंद्रीय पत्ती के विक्रेता से पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर लगने वाले सेवा कर की वसूली में विफल रहने के कारण ₹ 15.63 लाख की गैर-वसूली रही।

वित्त अधिनियम, 2002 में संशोधित सेवा कर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 65(105)(जेडजेडए) के अनुसार, संग्रहण और भंडारण की सेवाओं की लागत पर सेवा कर लगाने एवं वसूल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, 1 जून 2007 से व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अचल सम्पत्ति पर किराये को सेवा कर<sup>13</sup> के दायरे में लाया गया। अधिनियम के अनुसार, जो व्यक्ति सेवा शुल्क की प्राप्ति के साथ कर योग्य सेवा प्रदान करता है, वह सरकार को सेवा कर के भुगतान के लिए बाध्य होगा।

भारत सरकार ने सेवा कर स्वेच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (वीसीईएस), 2013 को प्रारंभ किया (मई 2013) जिसके तहत अक्टूबर 2007 से दिसंबर 2012 में देय या भुगतान योग्य सभी करों को 31 दिसंबर 2013 या इससे पहले नामित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा के बाद 30 जून 2014 तक भुगतान करना था।

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी), जो झारखण्ड में केंद्रीय पत्ती के संग्रहण एवं क्रय के लिए झारखण्ड सरकार की अधिकृत एजेन्सी है, केंद्रीय पत्ती के संग्रहण के मौसम के प्रारंभ होने से पहले निविदा के द्वारा केंद्रीय पत्ती का अग्रिम विक्रय कर देता है। जबतक क्रेता द्वारा केंद्रीय पत्ती के क्रय के लिए भुगतान की

<sup>13</sup> अधिसूचना संख्या - 23/2007 दिनांक 22 मई 2007 के अनुसार।

प्राप्ति न कर ली जाती है तबतक केंद्रीय पत्ती को संग्रह कर कंपनी के गोदामों या अधिकृत निजी गोदामों में भंडारित किया जाता है।

निविदा की शर्तों एवं बंधनों के अनुसार, क्रेता के द्वारा कंपनी को केंद्रीय पत्ती के भंडारण और सुरक्षा के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं कंपनी के स्वामित्व वाले गोदामों में केंद्रीय पत्ती के भंडारण पर लगने वाले किराया सभी कर एवं शुल्क सहित भुगतान करना था। अतः कंपनी को केंद्रीय पत्ती के क्रेता से पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की वसूली कर सरकार को जमा करना था।

हमने, हालांकि, पाया कि (मार्च 2014) कंपनी ने पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की वसूली केंद्रीय पत्ती के क्रेता से नहीं की और सेवा कर राशि सरकार को जमा नहीं किया। अप्रैल 2008 से दिसंबर 2012 तक की अवधि के लिए कंपनी ने पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर देय सेवा कर<sup>14</sup> देनदारी क्रमशः ₹ 14.21 लाख और ₹ 5.55 लाख का आकलन किया। कंपनी सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी अतः उसने वीसीईएस के तहत ₹ 19.76 लाख का सेवा कर का भुगतान किया (30 दिसंबर 2013)। कंपनी द्वारा अपने प्रमंडलीय प्रबंधकों को क्रेताओं से सेवा कर की राशि की वसूली के निर्देश जारी करने पर ₹ 4.13 लाख की राशि वसूल हो सकी (दिसंबर 2014)।

कंपनी ने कहा (दिसंबर 2014) कि पर्यवेक्षण शुल्क और गोदाम किराया पर सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में उन्हें वीसीईएस के प्रारंभ के समय ही पता चला।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी सेवा कर अधिनियम की आवश्यकता को यथासमय पालन करने में विफल रहा जिसके कारण केंद्रीय पत्ती के क्रेताओं से ₹ 15.63 लाख के सेवा कर की वसूली नहीं हो सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014); अनुस्मारक दिनांक 2 सितम्बर, 2014 और 16 दिसम्बर 2014 के बाबजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2014)।

## तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

### 3.6 लिफ्ट की गैर-स्थापना के कारण निष्फल व्यय

कंपनी द्वारा प्रारंभिक कार्य को पूरा न करने और कार्य स्थल को सौंपने में विफल रहने के कारण लिफ्ट की अधिष्ठापन न होने के परिणामस्वरूप ₹ 84.57 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कंपनी) ने तीन लिफ्ट के डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण, आपूर्ति, स्थापना और उनके एक साल के संचालन और रखरखाव के लिए

<sup>14</sup> शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर सहित।

एक एजेंसी<sup>15</sup> को क्रय आदेश जारी किया (अगस्त 2004)। एक 884 किलोग्राम क्षमता की यात्री लिफ्ट की अधिष्ठापन स्वागत भवन में और दो टन क्षमता के दो माल ढुलाई सह यात्री लिफ्ट की स्थापना तेनुघाट वाष्प चलित ऊर्जा केन्द्र के दो बायलर स्थलों में की जानी थी। लिफ्ट का अनुबंधित मूल्य ₹ 1.41 करोड़ का था जिसमें ₹ 1.23 करोड़ सामग्री की आपूर्ति के लिए, ₹ 1.65 लाख इसके अधिष्ठापन और चालू करने के लिए और ₹ 16.71 लाख एक साल के संचालन एवं रखरखाव के लिए था।

क्रय आदेश में सामग्री की आपूर्ति पर अनुबंधित मूल्य के 20 प्रतिशत का भुगतान उसी राशि के 18 महीने तक के मान्य अवधि की बैंक गारंटी (वीजी) के विरुद्ध करना था, 70 प्रतिशत का भुगतान सामग्री की आपूर्ति पूरा करने पर और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 18 महीने की गारंटी अवधि के बाद करना था। सामग्री की आपूर्ति क्रय आदेश के 52 सप्ताह के भीतर यानी अगस्त, 2005 तक करनी थी। सामग्री की आपूर्ति के 16-20 सप्ताह यानि जनवरी 2006 तक लिफ्ट का स्थापना एवं चालू करने का कार्य पूरा कर लिया जाना था।

अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2014) से, हमने पाया कि एजेंसी ने ₹ 22.80 लाख मूल्य के सामग्री की आपूर्ति जनवरी 2006 और शेष सामग्री की आपूर्ति मार्च 2007 से अप्रैल 2007 के बीच की। एजेंसी द्वारा कंपनी को अनुरोध किया गया (सितंबर 2006) कि वह प्रारंभिक कार्यों यथा उपकरण गृह का निर्माण, लिफ्ट कुओं के दीवारों पर स्टील का परत चढ़ाना और लिफ्ट के लिये ऊर्जा आपूर्ति हेतु विद्युत कार्यों को पूरा करना, जो क्रय आदेश के अनुसार उसके कार्य क्षेत्र में नहीं थे।

कंपनी ने ₹ 0.44 लाख की लागत से स्वागत भवन में 884 किलोग्राम लिफ्ट का प्रारंभिक कार्य पूरा किया (जनवरी 2008) और लिफ्ट को स्थापित किया (फरवरी 2008)। यद्यपि प्रथम बायलर स्थल में प्रारंभिक कार्य मार्च से सितंबर 2008 के दौरान ₹ 2.36 लाख की लागत से हुए, लिफ्ट कुओं में स्टील का परत चढ़ाने का कार्य पूरा नहीं किया गया था और लिफ्ट के स्थापना के लिए कार्यस्थल एजेंसी को नहीं सौंपा गया था। इसके अलावा, दुसरा बायलर स्थल में प्रारंभिक कार्य को पूरा नहीं किया गया था।

इस तरह, कंपनी द्वारा प्रारंभिक कार्य को पूरा करने और दो लिफ्ट की स्थापना के लिए कार्यस्थलों को न सौंपने के कारण लिफ्टों की स्थापना इनके आपूर्ति के सात वर्ष बाद भी नहीं हो सकी। इसके अलावा, क्रय आदेश के अनुसार विनिर्माण दोष, दोषपूर्ण कारीगरी, दोषपूर्ण सामग्री और असंतोषजनक सेवाओं के विरुद्ध आपूर्तित सामग्री की गारंटी अक्टूबर 2008 में समाप्त हो गई है। कंपनी ने सामग्री की आपूर्ति

---

<sup>15</sup> एस्सार स्काई मार्क (इंडिया) प्रा. लि., कोलकाता।

के लिए एजेंसी को ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान किया जिसमें से ₹ 84.57 लाख दो लिफ्टों पर व्यय हुए जो अभी तक स्थापित नहीं हो पाए (दिसंबर 2014)।

सरकार ने (जुलाई 2014) लिफ्ट की गैर-स्थापना के कारणों के रूप में समरूप कार्यों के क्रियान्वयन के लिए टीटीपीएस के अधिकारियों में विशेषज्ञता का अभाव और कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारियों के लगातार स्थानांतरण को जिम्मेदार ठहराया। इसके आगे यह भी कहा गया कि लिफ्ट की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान, एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से कर ली गई है और लिफ्ट की स्थापना दिसंबर 2014 तक पूरी कर ली जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी, प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने और कार्यस्थल को एजेंसी को सौंपने में विफल रही जिसके कारण लिफ्टों की स्थापना इनके आपूर्ति के सात वर्ष के बाद भी नहीं हुई। सरकार ने उत्तर में कहा था कि लिफ्टों की स्थापना दिसंबर 2014 तक पूरी नहीं हो पाई थी।

इस प्रकार, लिफ्टों के क्रय पर किये गए ₹ 84.57 लाख निष्फल रहे और लिफ्टों से प्राप्त होने वाले निर्धारित लाभों को नहीं लिया जा सका

## सामान्य

### 3.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

**3.7.1** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संविक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि कार्यपालिका से इनपर उपयुक्त उत्तर ससमय प्राप्त किया जाए।

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः अगस्त 2010, अगस्त 2011, सितम्बर 2012, जुलाई 2013, एवं मार्च 2014 में प्रस्तुत किये गये थे। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में तीन विभागों के अंतर्गत नौ सा.क्षे.उ. से संबंधित अठाइस कंडिकार्य/निष्पादन लेखापरीक्षायें सम्मिलित किये गये थे जिनपर सरकार से 30 सितम्बर 2014 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा कि तालिका-3.3 में इंगित किया गया है। विभागवार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.1** में दिया गया है।



**तालिका - 3.3**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
2011-12	6	8	6
2012-13	6	3	6
<b>कुल</b>	<b>28</b>		<b>28</b>

**सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन**

**3.7.2** वर्ष 2001-02 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में, 45 कंडिकाएं तथा दस निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्मिलित की गयी थी। इनमें से, 30 सितम्बर 2014 तक सात कंडिकाओं तथा चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं और दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं से संबंधित तीन उप-कंडिकाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसायें की थी।

कोपू की कार्यचालन नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, विभागों ने कोपू की उपरोक्त अनुशंसाओं पर एटीएन उपलब्ध नहीं कराए थे।

**निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया**


**3.7.3** लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर इनके प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2014 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से परिलक्षित होता है कि 421 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1425 कंडिकाएं सितम्बर 2014 के अंत तक अनिस्तारित रही। 30 सितम्बर 2014 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यचालन पर प्रारूप कंडिका एवं निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अन्दर तथ्यों एवं आँकड़ों की

पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। मई से अगस्त 2014 के दौरान संबंधित विभागों को अग्रसारित छः प्रारूप कंडिकाओं (एक दीर्घ प्रारूप कंडिका सहित) एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा में से, सरकार ने केवल निष्पादन लेखापरीक्षा और एक प्रारूप कंडिका का उत्तर दिया था (दिसंबर 2014); पाँच प्रारूप कंडिकाओं (एक दीर्घ प्रारूप कंडिका सहित) का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं जिसका विवरण **परिशिष्ट-3.3** में है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान है जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

राँची  
दिनांक :



(मृदुला सप्र)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक :



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक